न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 34/2017

भागीरथ पुत्र बहादरराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. पारूराम पुत्र बीरूराम जाति नायक निवासी चक 3 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. भागीरथ पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी चक 3 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ.1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 01.12.2015

उपस्थितिः—

श्री अशोक छाबडा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राकेश कुमार मनचंदा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
श्री राजवीर भादू अभिभाषक रेस्पों. सं. 2
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रा. पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251क व नियम 8(2) राज.उपनि.अधि. के तहत पेश कर चक 3 के.एस.आर. के प. नं. 59/339 के कि.नं. 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। उक्त प्रा.पत्र का जबाब अप्रार्थी भागीरथ ने पेश कर प्रा.पत्र खारिज किया है। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 01.12.2015 को कि.नं. 5, 6, 15, 16 में 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश होने पर इस न्यायालय दिनांक 21.04.2016 को स्वीकृतशुदा रास्ता के स्थान पर कि.नं. 15, 16, 25 में 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये

जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी सं. 3268/2016 भागीरथ बनाम पारूराम पेश की जो दिनांक 29.08.2016 को स्वीकार कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। प्रकरण रिमाण्ड होने पर दिनांक 08.03.2017 को पत्रावली पेशी में आई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों. सं. 1 द्वारा अपने प्रा.पत्र में रेस्पों. सं. 2 के चक 3 के.एस.आर. के प.नं. 59/339 के कि. नं. 15, 16, 25 में रास्ता की मांग की थी जबकि अधी. न्यायालय ने अपीलांट के चक 3 के.एस.आर. के प.नं. 59/338 के कि.नं. 5, 6, 15, 16 में रास्ता स्वीकृत कर दिया। अधी. न्यायालय ने राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के तहत बने नियमों की पालना नहीं की है। किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं ली गई है। इस न्यायालय द्वारा भी पूर्व में नियम विरूद्ध संशोधन आदेश पारित किया है जबकि प्रकरण में मैरिट पर निर्णय किया जाना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2015 निरस्त किया जावे। बहस के समर्थन में विधि दृष्टांत आर.आर.डी. 1991 पेज 730 एवं आर.आर.डी. 1992 पेज 598 भी प्रस्तुत किये गये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधी. न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। रेस्पों. सं. 2 ने अधी. न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2015 को उचित बताते हुए अपील खारिज करने की इस्तदुआ की।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधि दृष्टांतों का आदरपूर्वक अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने चक 3 के.एस.आर. के प.नं. 59/339 के कि.नं. 15, 16, 25 में रास्ता की मांग की है जबकि अधी. न्यायालय ने चक 3 के.एस.आर. के प.नं. 59/338 के कि.नं. 5, 6, 15, 16 में अपीलांट की खातेदारी की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया है। पत्रावली में उपलब्ध नजरी नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पों. सं. 1 की कृषि भूमि प.नं.59/339 व 59/338 दोनों मुरब्बा में है। इस कृषि भूमि के लिए प.नं. 59/339 व प.नं. 59/338 दोनों तरफ से रास्ता सम्भव हो सकता है। धारा 251क राज.काश्त.अधि. के आज्ञापक प्रावधानों के तहत नया रास्ता स्वीकृत करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होना एवं खातेदारी भूमि से नया रास्ता चाहे जाने पर अन्य वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता न होना प्रमाणित होना आवश्यक है। अपीलांट के अनुसार प.नं. 59/340 के कि.नं. 1 से 5 होकर रेस्पों. सं. 1 आता–जाता है व नये रास्ते की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकरण में अन्तिम निर्णय से पूर्व अपीलांट के इस कथन की जांच की जाना आवश्यक है। धारा 251ए के प्रावधाना को लागू करने हेतु राज.काश्त.सरकारी नियम 69 के प्रावधानों के तहत कम से कम गिरदावर स्तर के अधिकारी की मौका जांच आवश्यक है। इस प्रकार की कोई जांच पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः स्पष्ट रूप से राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के नियम 69 की पालना किया जाना नहीं पाया जाता है। यहां तक कि अधी. न्यायालय स्तर पर प.नं. 59/338 के प्रभावित खातेदार अपीलांट को सुना तक नहीं गया है एवं रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सक्षम अधिकारी की मौका रिपोर्ट नहीं ली गई है जो कि उक्त नियमों में आज्ञापक प्रावधान है साथ ही जो रास्ता स्वीकृत किया गया है उसकी मांग किसी भी पक्ष द्वारा नहीं की गई थी, न ही इस रास्ते को स्वीकृत करने की सहमति दी गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश नियमों के विरूद्ध पारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2015 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सभी सम्बन्धित पक्षकारों को साक्ष्य सबूत/सुनवाई का अवसर देते हुए राज.काश्त.अधि.

की धारा 251ए एवं उसकी क्रियान्विति हेतु बने नियम 69 की पालना की जाकर कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा सभी पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर विभिन्न पक्षकारान की आपत्तियों पर विस्तृत विवेचन करते हुए सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर